

१[प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

१९९

२१) २-५० पृ४
२५-३-२१६

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए !! श्री अ.जी.आ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम वसन्त कुमार लोंगा

पिता/प्रता/पति का नाम स्व. लोकिमुख लोंगा

उसका डाक पता आम- कोटीमिया रालगापेता पोदह- कोटीमिया

पाजा- हेडाईटांगर जिला- स्थितिा पिन- ४३५२२६ झारखण्डा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

उसका नाम ११ श्रेणी (में समाविष्ट ७१ कोलेक्टर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक

नामावली के भाग सं. १५१ में क्रम सं. १२४ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम द्वितीय सीह मिं है जो

..... ११ श्रेणी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट ७१ कोलेक्टर

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. १५१ में क्रम सं.

..... ३०६ पर प्रविष्ट है।

तारीख २५.०३.२०१५

द्वितीय सीह मिं
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम लक्ष्मी गुप्ता

पिता/माता/पति का नाम लक्ष्मी गुप्ता

उसका डाक पता लक्ष्मी गुप्ता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
 *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग
 संख्यांक में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -
 (क) मैंने 44 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में

इंगरेजी विकास भोजी (प्र)

दल द्वारा खड़ा किया गया

है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में

..... दल द्वारा खड़ा किया गया है,
राजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)
और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i)

(ii)

(iii)

हैं

हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर
(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

हिन्दी (देवनागरी)

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **भू०३..... जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो इंगरेजी..... राज्य के उस राज्य में के

क्लौनिक्य..... (क्षेत्र) के सम्बंध में अनुसूचित *** भू०४..... जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 25.03.2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में “मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।
कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।

¹[भाग 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हाँ/नहीं ✓

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक

- (ii) पुलिस थाना

(थाने) जिला (ज़िले) राज्य

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)

.....

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुमानि (जुमानों) की राशि उपदर्शित करें

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशेष्याँ

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं

- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)

- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)

स्थान : सूर्योदयी

तारीख : 25. 3. 2014

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
[अभ्यर्थी का हस्ताक्षर]

भाग 4
(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं 29

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कायलिय में 25.03.2014 (तारीख) को 2-50 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तुतापक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 25/03/2014

रिटर्निंग 26.3.2014

निर्वाची पदधिकारी

11 खूंटी लोकसभा (अ.ज.जा.)

भाग 5


नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण)



Signature

(अ. ज. जा)

590
2531

नवाचन क्षेत्र सं

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

खुंडी दंसरी भूलोकर-मान्दुनाव

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं वर्स्तत कुमार लोंगा ** पुत्र/पुत्री/पत्नी श्व. शोभिनी लोंगा
आयु 44 वर्ष, जो श्राम-कीरण निया संस्कारण परिषट् - कोर्सो निया
वास- छठाई दंसर जिला- रामगढ़ा (भारतीय कापुर का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं कारबूज विकास मोर्चा (ए) (** राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 71 कॉलेजिया शास्त्रविज्ञान (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 151 के क्रम सं. 124 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9661810695 है/हैं और मेरा ई-मेल अईडी (यदि कोई हो तो) bklonga @ g-mail.com है।

और संघर्षशाल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) शून्य हैं।

(4) शून्यलूप संबन्धक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल गई गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं वर्स्तत कुमार लोंगा	ACJPL 8324P	2013-14	3,51,000/-
2.	पति या पत्नी नुरामी भीरालोंगा	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित - 1 अंकित कुमार लोंगा	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित - 2 एवनिमि द्वारा लोंगा	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित - 3 भव्य लक्ष्मप लोंगा	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लाभु १५/-
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लाभु १५/-
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभु १५/-
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लाभु १५/-
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लाभु १५/-
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता द्वारा न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लाभु १५/-

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:

(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभु १५/-
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लाभु १५/-
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लाभु १५/-

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धादोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धादोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लाभु 1(1)-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लाभु 1(1)-
(ग)	अधिरोपित दंड	लाभु 1(1)-
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लाभु 1(1)-

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।


क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	2,70,000/-	80000/-	✗	✗	✗
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय कंपनियों/प्रकारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं के पास जमा और ऐसे प्रत्यक्ष रूपांतरण में रकम	पर्यः वी. अर्ह. स्ट्रेटिजी एक्टिव्स 11443937684 1,60,000/- वी. अर्ह. स्ट्रेटिजी एक्टिव्स 11443937684 45701010000000 80,000/- पी.एच.ली. स्ट्रेटिजी कॉर्प. है. 6732000100027693 -39,000/-	पर्यः वी. अर्ह. स्ट्रेटिजी एक्टिव्स 2040752175 -40,000/-	पर्यः वी. अर्ह. स्ट्रेटिजी एक्टिव्स 2040752175 -40,000/-	लाभु 1(1)-	
(iii)	कंपनी/पारस्परिक निधियों और अन्य बंधपत्रों/डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम				लाभु 1(1)-	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा बंदिशियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	✗	✗		लाभु 1(1)-	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम				लाभु 1(1)-	
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	पर्यः अमारी 5 H018-4029 6,30,000/- कॉर्प. A/F 5,30,000/-	लिंगर (श्रीरं) JH01A52315 50,000/-	✗	✗	✗
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 34,800/- 12 ग्राम	सोना 8,700/- 20 ग्राम	सोना 23,200 8 ग्राम	सोना 8,700/- 20 ग्राम	सोना 11,600/- 20 ग्राम
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे किदावों/हित का मूल्य			लाभु 1(1)-		
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1270800/-	528000/-	23,200/-	8700/-	11,600/-

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :


टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(I)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	कुर्सियाँ संख्यांक (संख्याएँ)		लागू १४/-		
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लाला (नो. ०१ ४ एकड़)		लागू १४/-		
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)			लागू १४/-		
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख			लागू १४/-		
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)			लागू १४/-		
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान			लागू १४/-		
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य Nestle Public रिकॉर्ड नं. ०१५ मैं कृषि भूमि (अवस्थिति) (अवस्थितियाँ) संख्यांक संख्यांक (संख्याएँ)	160000/-		लागू १४/-		
(ii)	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)			लागू १४/-		
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)			लागू १४/-		
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख			लागू १४/-		
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)			लागू १४/-		
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान			लागू १४/-		
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य			लागू १४/-		

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)			लागू है।		
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)			लागू है।		
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)			लागू है।		
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)			लागू है।		
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख			लागू है।		
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)			लागू है।		
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान			लागू है।		
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य			लागू है।		
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)) 	कॉलेज रोड स्मिता वाराणसी		लागू है।		
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	104064		लागू है।		
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2180		लागू है।		
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	है।		लागू है।		
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25.11.1997		लागू है।		
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	192000/-		लागू है।		
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	100000/-		लागू है।		
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2600000/-		लागू है।		
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शुभ		लागू है।		
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	3600000/-	शुभ	शुभ	शुभ	-

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य  टेलीफोन नं. ०११२३४५६७८९० से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी नियरिवहन (वायुयान) और इलेक्ट्रोनिक सुविधाएँ वाले विभाग को शोध्य आय नक्शे को शोध्य धनकर शोध्य सेवाकर शोध्य नगरपालिका / सम्पत्ति कर शोध्य विक्रयकर शोध्य कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकरी जिसके समक्ष यह लम्बित है का वर्णन करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
 (क) स्वयं
 (ख) प्रति या पत्नी
 कुलकर्त्ता एवं प्रतिकर्त्ता
 वीमा एलाहाबाद

(10) मेरी शैक्षिक स्वतंत्रता नीचे दिए अनुसार है :-

विभिन्न विद्यालयों की स्वतंत्रता अवधि, दिनांक, 1990
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. वर्षानंत कुमार लोंगा	
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम- कोटीमिया-सलगापोखर पोखर- कोटीमिया पास- ६ डाई ८०८ जिला- चिमोड़गा नं. - ४३५२२६	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	११ खंडी, झारखण्ड	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	झारखण्ड विकासभार्या (प्र)	
5.	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लाइ-१४-	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजाना किया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से अलग] NO. ।	लाइ-१५-	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एवं वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लाइ-१६-	
7.	... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	ACJPL ४३२४९	
	(ख) पति या पत्नी	लाइ-१४-	लाइ-१५-
	(ग) आश्रित	लाइ-१४-	लाइ-१५-

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1211800	528000	23200	8700	11600
ख.	स्थावर आस्तियाँ	1600000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	192000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	1000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	2600000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	192000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1600000				
9.		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें। वाचिं ज्येष्ठनातक (प्रतिष्ठा) २०१८-१९, ऑलेज, एची। आर. बृं. एची, १९९०।					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।



25 मार्च, 2014

को सत्यापित किया गया।

Almari
NOTARY PUBLIC
Jharkhand

अनुमति
अभिसाक्षी
25.03.14
Abhim

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन का 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चात्मन्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निवाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे - 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाइ जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।